223

संख्या — /XXIV(6)/2013

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 15 मई, 2013

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के मुख्य आय–व्ययक के आयोजनागत् पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांकः 30,मार्च 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्तीय स्वीकृतियॉ बचनबद्ध मदों मे उच्च शिक्षा विभाग से अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत दून विश्वविद्यालय, देहरादून के **कार्मिकों के वेतन तथा उससे सम्बन्धित् भत्तों के भुगतान हेतु** आयोजनागत् पक्ष में **प्राविधानित धनराशि ₹ 05 करोड़ के सापेक्ष विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार प्रथम किश्त के रूप में ₹ 2.50,00,000.00 (₹ दो करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें ।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हों, हेतु ही भुगतान किया जायेगा** । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये ।

कमशः पृष्ठ–2

(5) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा । अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यो एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा ।

(7) स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(8) सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु लेखानुदान के अन्तर्गत आय–व्ययक के अनुदान संख्याः 11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102 विश्वविद्यालयों को सहायता–आयोजनागत्–05–दून विश्वविद्यालय–43–वेतन–भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –284/ XXVII(1)/2013 दिनांकः 30,मार्च 2013 में प्राप्त निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :52(4)12/XXIV(6)/2013 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी ।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय, देहरादून ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव ।